



S.T.D. 0581  
2520487, 2527263  
2527282, 2523378

**महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली**  
**MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY**

पत्रांक : रू.वि./प्र.प.प्र./ऑ.प्र./2019/075

दिनांक : 19.06.2019

प्रेस विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में वर्ष 2019 के संस्थागत प्रवेश हेतु इच्छुक समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्र/छात्राओं ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु (ई.डब्लू.एस.-EWS) श्रेणी के अर्न्तगत प्रवेश हेतु आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 192/सत्तर-7-2019-बी.एड.(09)/2014 टी.सी. दिनांक 29.05.2019 जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग - 2 के शासनादेश संख्या 1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 18.02.2019 का उल्लेख है, के अनुपालन में सम्बन्धित छात्र/छात्रायें सक्षम प्राधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु (ई.डब्लू.एस.-EWS) हेतु प्रमाण पत्र बनवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रवेश के दौरान शासनादेश के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु (ई.डब्लू.एस.-EWS) प्रमाण पत्र की छायाप्रति देने पर ही ई.डब्लू.एस. (EWS) श्रेणी के अर्न्तगत प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

भवदीय,

(डॉ. सुनीता पाण्डेय)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बन्धित महाविद्यालय, एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली
3. निजी सचिव, कुलपति
4. वै.सहा., कुलसचिव
5. सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान को इस आशय से कि कृपया छात्र हित में उक्त सूचना अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. प्रबन्धक (प्रणाली), यू.पी. डेस्को, लखनऊ
7. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट

Pandey  
19/6/19

(डॉ. सुनीता पाण्डेय)  
कुलसचिव